न्यायालय :— माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

I/अपील/कटनी/भू.रा/2018/1999

प्र.क. /2018 अपील

आनन्द कुमार पुत्र शंकर प्रसाद गोयनका द्वारा मु.आ. आलोक कुमार पुत्र शंकरप्रसाद गोयनका निवासी स्टेशन रोड़ कटनी जिला कटनी म.प्र.

——— अपीलान्ट

श्री [illegible] द्वारा आज दिनांक 24.3.18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 5-4-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला कटनी
2. ए.सी.सी. लिमिटेड कैंमोर सीमेन्ट वर्क्स तहसील विजयराघवगढ़ जिला कटनी द्वारा डिप्टी जनरल मेंनेजर एच.आर. कोशी अब्राहम पुत्र श्री जे.एच. अब्राहम
3. अशोक कुमार पुत्र गोरेलाल दुवे निवासी नदी पार जिला कटनी म.प्र.
4. शंम्भूदयाल पुत्र भगवत प्रसाद अवस्थी निवासी ग्राम कलहरा तहसील विजयराघवगढ़ जिला कटनी म.प्र.

——— रेस्पोडेन्टगण

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति [illegible]
दिनांक 24/3/18
हस्ताक्षर व नाम [illegible]

<u>अपील अन्तर्गत धारा 44(2) म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर प्र.क. 277/बी—121/अपील/2014—15 में पारित आदेश दिनांक 290.6.2017 के विरूद्ध जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि अपील प्रस्तुत।</u>

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/अपील/कटनी/भू.रा./2018/1999

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/04/2018	अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़ उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार विजयराघवगढ़ द्वारा अपीलार्थी को पक्ष समर्थन हेतु नोटिस जारी कर आहुत किया गया, परंतु वे किसी भी पेशी पर उपस्थित नहीं हुए और ना ही उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। साथ ही अनावेदक क्र. 3 एवं 4 को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर प्रदाय नहीं किया गया जबकि वह प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं। ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी विजयराघवगढ़ एवं अपर कलेक्टर कटनी द्वारा प्रकरण में लिया गया विचारण एक पक्षीय है जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायिक एवं विधि सम्मत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	